

16/02/21 पत्रावली पेश हुई। पाठ्य व उनके वकील को  
कई बार आवाज लगाई गई किंतु उपस्थित  
नहीं आई। ऐसी स्थिति में पाठ्य का पाठना  
एक ऊँच हाजिरी व ऊँच पैरवी में वही  
Stage पर खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैलव शुभा होमा बाद वकील वानक. है।

(W)

जिला कलेक्टर  
भगतपुर (राज०)

